न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 563/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. कैलाश पुत्र भौमाराम 2. अनोपराम पुत्र भौमाराम (जाति मेघवाल, निवासी ग्राम भेड, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर)		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित आदेश कमांक 1703 दिनांक 11.1.22

उपस्थिति –
1. श्री प्रतापसिंह राठौड वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.09.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी ओसियां के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.22 के द्वारा तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम भेड़ के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में ग्राम भेड़ के खसरा नं0 800 में चालू एवं स्थाई सार्वजनिक रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की अनुशंषा की गई, जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.22 द्वारा स्वीकार किया गया। अपीलांट को उक्त

जानकारी होने पर उसके द्वारा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) ओसियां के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.22 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.01.22 को निरस्त कर दिया गया। उसके पश्चात तहसीलदार ओसियां के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.08.22 को निरस्त कर अपीलांट्स को बिना नोटिस एवं सुनवाई के अपने आदेश दिनांक 11.01.22 को यथावत रख दिया गया। जो विधि विधान संचिका, अभिलेख तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उक्त खसरान में से कोई सार्वजनिक रास्ता चालू नही है और न ही कभी चलता था। उक्त खसरान की संपूर्ण भूमि अपीलांट्स व उसके परिवार की संयुक्त खातेदारी की है, जिसके चारों ओर तारबंदी की हुई है। उक्त कार्यवाही गलत रिपोर्ट के आधार पर की गई है। फर्द बनाने से पूर्व अपीलांट्स को कोई सूचना नही दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उसे पक्षकार नही बनाया गया और न ही उसकी कोई सहमति ली गई। अपीलांट्स के उक्त ख0नं0 800 की पत्थरगढी करवाई हुई है, जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.7.21 में उक्त खसरान में कोई चालू रास्ता नही बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त खसरान में कोई पुराना चालू रास्ता नही है। मात्र कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से राजस्व कार्मिकों ने गलत रास्ता बताया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव पर भेड़ गांव से खोडिवाल मेघवालों की ढाणी होते हुए करमिया नाडा रास्ते तक अप्रार्थीगण की भूमि में से चालू रास्ते को 30 खसरों तक जोडने के साथ विस्तृत आबादी को जोडने हेतु प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्ताव पर अपीलाधीन आदेश द्वारा ग्राम भेड के ख0नं0 800, 571, 566, 554/1, 554 व 553, 556, 557/1, में से रास्ते के रूप में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार ओसियां के पत्र क्रमांक 598 दिनांक 10.10.23 द्वारा प्रेषित वादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट में मुख्यतः यह उल्लेखित है कि "अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1703

अतिरिक्त आयुक्त

दिनांक 11.01.22 द्वारा ग्राम भेड़ के खसरा नं0 800 के बीच में से रास्ता दर्ज किया गया है। जिसे अपीलांट्स द्वारा उक्त खसरान की दक्षिणी कणा माठ के पास दर्ज करवाने हेतु सहमति व्यक्त की है व मौके पर उपस्थित सभी पक्षकारान व ग्रम के मौतबिरान भी सहमत हैं। अतः ग्राम भेड के मूल खसरा नं0 800 के बीच में से दर्ज रास्ते को ख0नं0 800 के दक्षिणी कणा माठ पर संलग्न नजरिये नक्शें के अनुसार दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः इस स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1703 दिनांक 11.01.2022 को अपीलांट्स के ख0नं0 800 में उल्लेखित रास्ते की रकबा भूमि तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, मौके पर यदि रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, पुनः 03 माह में विधिसम्मत निर्णय पारित करावे। उभय पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष दिनांक 23.09.2024 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

09.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर